कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या: 855/पुनर्ग्रहण/2024–25

दिनांक: दिसम्बर, 26 2024

आदेश

जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या–796/डीएलआरसी, दिनांक 10.12.2024, द्वारा जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ एवं भांडई की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में पुनर्ग्रहण कर हस्तान्तरित करने विषयक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या–163/डी/एल0ए0सी0/2024, दिनांक 17.8.2024 के क्रम में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की आवासीय टाउनशिप योजना हेतु पुनर्ग्रहण की जाने वाली ग्राम ककुआ की भूमि में 03 (तीन गाटे) गाटा संख्या–10, गाटा संख्या–512 एवं गाटा संख्या–779 बंजर के हैं, जो ग्राम सभा की सामान्य श्रेणी की भूमि है। जिलाधिकारी आगरा की आख्या के अनुसार सन्दर्भित योजना के लिये गांव ककुआ की सामान्य श्रेणी की भूमि को सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में हस्तान्तरण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रू0 में)	योग (कॉलम 7+ 8)
		गाटा संख्या	कुल रकवा (हे0 में)	पुनर्ग्रहित रकवा (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ककुआ	10	0-2580	0.0080	बंजर	19.8	192000	192020
2.	ककुआ	512	0.0230	0.0180	बंजर	44.5	432000	432045
3.	ककुआ	779	0.1500	0.0350	बंजर	86.6	840000	840087
योग			0.4310	0.4310		1066.1	10344000	10345066

2. जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.12.2024 के अनुसार सन्दर्भित भूमि की वर्तमान में कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गई है। उक्त के संबंध में भूमि प्रबंधक समिति ककुआ द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रस्ताव पारित किया गया है। सन्दर्भित भूमि हेतु निर्धारित सर्किल दर [illegible] लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से चार गुना धनराशि मु0 1,03,44,000/– रूपये तथा 150 गुना मालगुजारी की धनराशि मु0 1066/– रूपये इस प्रकार कुल धनराशि मु0 1,03,45,066/– रूपये होती है।

3. उक्त के अतिरिक्त परियोजना में प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) में प्राविधानित किया गया है कि "राज्य सरकार सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य तथा पंजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।"

4. "उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ से जारी अधिसूचना संख्या 741/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016, उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–59 की उपधारा–(2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) व (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोगतव्य शक्ति उन दशाओं में जहां यह फाइनेंसियल हैंड बुक खण्ड 5 के भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिये या जहां यह भारत

सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हो, रु0 40 लाख रूपये तक वस्तुओं हेतु सम्बन्धित जनपदों के कलक्टरों तथा रु0 40 लाख रूपये से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है"

5– अतः आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा जनपद आगरा की तहसील सदर के ककुआ एवं भांडई ग्राम की भूमि 'आवासीय टाउनशिप योजना' हेतु भूमि पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध एवं तत्क्रम में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016/20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर–4(1)(घ), प्रस्तर–4(1)(ग), प्रस्तर–5(3), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 की उपधारा–(2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण, धारा–77 की उपधारा–2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि, धारा–101(2) के परन्तुक के अधीन राजस्व ग्राम ककुआ की अनुसूची के कॉलम संख्या–4 में उल्लिखित गाटा संख्या–10 रकबा 0.2580 है0, गाटा संख्या–512 रकबा 0.0230 है0 एवं गाटा संख्या–779 रकबा 0.1500 है0 कुल रकबा–0.4310 हेक्टेयर ग्राम सभा सामान्य श्रेणी (बंजर) की भूमि का मैं, रितु माहेश्वरी, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा पुनर्ग्रहण कर आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान करती हूँ।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।

2– आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग–5, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, आगरा को उनके पत्र दिनांक 10.12.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को उनके पत्र दिनांक दिनांक 17.8.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रितु माहेश्वरी)
आयुक्त

स्मृति–पत्र

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

सचिव,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

संख्याः 956 /डीएलआरसी दिनांकः 25 जनवरी.2025

विषयः जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ में पुनर्ग्रहित की गई भूमि की धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 163/डी/एल0ए0सी0/2024, दिनांक 17.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ में सामान्य एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि का पुनर्ग्रहण कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तद्‌क्रम में आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या 855/पुनर्ग्रहण/2024–25 दिनांक 24.12.2024 के अन्तर्गत निम्न तालिका के अनुरूप भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया हैः–

क्र0सं0	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रू0 में)	योग (कॉलम 7+ 8)
		गाटा संख्या	कुल रकबा (हे0 में)	पुनर्ग्रहित रकबा (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ककुआ	10	0.2580	0.2580	बंजर	638.2	6192000	6192638
2	ककुआ	512	0.0230	0.0230	बंजर	56.9	552000	552057
3	ककुआ	779	0.1500	0.1500	बंजर	371.0	3600000	3600371
योग			0.4310	0.4310		1066.1	10344000	10345066

उक्त आदेश के प्रस्तर–4 में उल्लिखित किया गया है कि प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) में प्राविधानित किया गया है कि "राज्य सरकार सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/ निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य तथा पंजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।" तद्‌नुसार सामान्य

Scanned with OKEN Scanner

श्रेणी (बंजर) की भूमि गाटा संख्या 10 रकवा 0.2580है0, गाटा संख्या 512 रकवा 0.0230है0 एवं गाटा संख्या 779 रकवा 0.1500है0 कुल किता–03 रकवा 0.4310है0 को आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पुनर्ग्रहण हेतु शुल्क कलेक्टर के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 04 गुना व लगान का 150 गुना के योग के बराबर मु0 1,03,45,066/– रूपये (एक करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार छियासठ रूपये) होता है, जिसको उपरोक्त लेखाशीर्षक में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के स्तर से जमा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी, परन्तु इस कार्यालय के पत्र संख्या 876/डीएलआरसी, दिनांक 03.01.2025 के उपरान्त भी वांछित धनराशि अभी तक निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराकर अवगत नहीं कराया गया है।

अतः आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के आदेश संख्या 855/पुनर्ग्रहण/2024–25 दिनांक 24.12.2024 के कम में पुनग्रहित की गई भूमि का शुल्क कलेक्टर के द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के 04 गुना व लगान का 150 गुना के योग के बराबर मु0 1,03,45,066/– रूपये (एक करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार छियासठ रूपये) उक्त लेखाशीर्षक में जमा कराकर चालान की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्त।

भवदीय,

24/1/25

(अजय कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
आगरा।

संख्या व दिनांकः तद्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा ।
2– उपजिलाधिकारी, सदर आगरा।

(अजय कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),
आगरा।

52/प्र-अ0नि/25
27-1-25

सचिव/प्र.भू.अर्जन

(8)

कार्यालय आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।

संख्या:-1264 /पुनर्ग्रहण/2024-25 दिनांक: जनवरी, 24 2025

आदेश

जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-795/डीएलआरसी, दिनांक 10.12.2024, द्वारा जनपद आगरा में आवासीय टाउनशिप योजना हेतु तहसील सदर के ग्राम ककुआ एवं भांडई की भूमि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में पुनर्ग्रहण कर हस्तान्तरित करने विषयक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पत्र संख्या-163/डी/एल0ए0सी0/2024, दिनांक 17.8.2024 के कम में प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरंण, आगरा की आवासीय टाउनशिप योजना हेतु पुनर्ग्रहण की जाने वाली ग्राम ककुआ के 62 गाटे एवं ग्राम भांडई के 17 गाटे बंजर/नाली/चकमार्ग/मुख्यमार्ग एवं रास्ता की भूमि के हैं, जो ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिलाधिकारी आगरा की आख्या के अनुसार सन्दर्भित योजना के लिये ग्राम ककुआ एवं ग्राम भांडई की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में हस्तान्तरण का प्रस्ताव संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

2. जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि उक्त प्रस्ताव में ग्राम ककुआ के गाटा संख्या-671, 677, 678, 682, 681, 682, 684, 685 एवं 686 पुनर्ग्रहित नहीं की जा रही है। उपरोक्त गाटाओं की सिंचाई हेतु नक्शे पर प्रदर्शित गूल का कुछ भाग छोड़कर बाकी गूल का पुनर्ग्रहण प्रस्तावित है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उपरोक्त गाटा संख्याओं की सिंचाई किस प्रकार से होगी तथा गाटा संख्या-23, 43 एवं 45 की सिंचाई के लिये क्या व्यवस्था है। उक्त के कम में इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-961/भूमि0अधि0सहा0/2024-25 दिनांक 02.01.2025 प्रेषित करते हुये उक्त दोनों विन्दुओं पर मौके का स्थलीय निरीक्षण कराते हुए जिलाधिकारी आगरा से स्पष्ट आख्या चाहीं गयी।

3. तत्कम में जिलाधिकारी, आगरा के पत्र संख्या-911/डीएलआरसी दिनांक 13.01.2025 के द्वारा उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रस्तुत की गयी है:-"...ग्राम ककुआ की गाटा संख्या-671, 677, 678, 680, 681, 682, 684, 685 एवं 686 का स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि गाटा संख्या-680, 681, 677 कृषि योग्य भूमि है, जिसकी सिंचाई गूल के गाटा संख्या-676 से हो रही है तथा गाटा संख्या-671 आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अधिग्रहित है। गाटा संख्या-678 खाद के गड्ढे, गाटा संख्या-682 रास्ता है, जो वर्तमान में मौके पर चालू है। गाटा संख्या-684 पर वर्तमान में आबादी बसी हुई है। मौजा ककुआ के ही गाटा संख्या-23, 43, 45 के संबंध में अवगत कराना है कि गाटा संख्या-30 रकवा 0.2450 हे0 में से रकवा 0.0058 हे0 व गाटा संख्या-31 में से रकवा 0.0044 हे0 व गाटा संख्या-32 रकवा 0.1940 हे0 में से रकवा 0.0044 हे0 व गाटा संख्या-33 रकवा 0.0740 हे0 में से रकवा 0.0022 हे0 व गाटा संख्या-34 रकवा 0.740 हे0 में से रकवा 0.0044 हे0 कुल कित-5 रकवा 0.7810 हे0 में से रकवा 0.0212 हे0 आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अधिग्रहित गूल हेतु प्रस्तावित किया गया है, जिससे गाटा संख्या-23, 43, 45 के लिये सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जायेगी तथा गाटा संख्या-24 गूल में से रकवा 0.0060 हे0 रकवा को छोड़ते हुए, शेष का पुनर्ग्रहण किया जायेगा। उपजिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया गया है कि पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के आसपास की ऐसी कृषिक भूमि जो पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है, सिंचाई के साधन यथा गूल एवं नाली तथा रास्ता (चकरोड) से वंचित नहीं रहेगी तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित पुनर्ग्रहण प्रस्ताव दिनांक 10.12.2024 के प्रस्तर-2 के नीचे प्रदर्शित तालिका के कमांक-4 पर अंकित गाटा संख्या-24 (नाली) का रकवा 0.0220 हे0, जिसका लगान का 150 गुना 54.4 पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन 5,28,000/- कुल धनराशि 5,28,054/- रूपये निर्धारित है, पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्तावित किया गया है, लेकिन इस कार्यालय के पत्र संख्या-961/भूमि0अधि0सहा0/2024-25 दिनांक 02.01.2025 में उठायी गई कतिपय आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त उपजिलाधिकारी सदर की आख्या दिनांक 10.01.2025 में गाटा संख्या-24 (नाली) का रकवा 0.0160 हे0 प्रस्तावित किया गया है, जिसका लगान का 150 गुना 39.56 पुनर्ग्रहण की जाने

वाली का चार गुना मूल्यांकन 3,84,000/– कुल धनराशि 3,84,039/– रूपये होता है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

अनुसूची

क्र0सं0	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रू0 में)	योग (कॉलम 7+ 8)
		गाटा संख्या	कुल रकवा (हे0 में)	पुनर्ग्रहित रकवा (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ककुआ	6	0.0080	0.0080	चकमार्ग	19.8	192000	192020
2.	ककुआ	11 मि0	0.0480	0.0180	चकमार्ग	44.5	432000	432045
3.	ककुआ	21	0.0350	0.0350	चकमार्ग	86.6	840000	840087
4.	ककुआ	24मि0	0.0220	0-0160	नाली	39.56	384000	384040
5.	ककुआ	28	0.0570	0.0570	चकमार्ग	141.0	1368000	1368141
6.	ककुआ	29	0.0130	0.0130	नाली	32.2	312000	312032
7.	ककुआ	410	0.0210	0.0210	चकमार्ग	51.9	504000	504052
8.	ककुआ	414	0.0150	0.0150	चकमार्ग	37.1	360000	360037
9.	ककुआ	424	0.0120	0.0120	चकमार्ग	29.7	288000	288030
10.	ककुआ	425	0.0140	0.0140	चकमार्ग	34.6	336000	336035
11.	ककुआ	426	0.0520	0.0520	चकमार्ग	128.6	1248000	1248129
12.	ककुआ	430	0.0690	0.0690	रास्ता	170.7	1656000	1656171
13.	ककुआ	434	0.0360	0.0360	नाली	89.0	864000	864089
14.	ककुआ	439	0.1500	0.1500	रास्ता	371.0	3600000	3600371
15.	ककुआ	443	0.0320	0.0320	चकमार्ग	79.2	768000	768079
16.	ककुआ	456	0.0230	0.0230	चकमार्ग	56.9	552000	552057
17.	ककुआ	462	0.0090	0.0090	चकमार्ग	22.3	216000	216022
18.	ककुआ	464	0.1500	0.1500	खाद के गड्डे	371.0	3600000	3600371
19.	ककुआ	465	0.0980	0.0980	नाली	242.4	2352000	2352242
20.	ककुआ	466मि0	0.1800	0.1400	खाद के गड्डे	346.3	3360000	3360346
21.	ककुआ	471 मि0	0.0270	0.0150	चकमार्ग	37.1	360000	360037
22.	ककुआ	472	0.0390	0.0390	चकमार्ग	96.5	936000	936096
23.	ककुआ	507मि0	0.0010	0.0010	चकमार्ग	2.5	24000	24002
24.	ककुआ	508 मि0	0.0290	0.0290	चकमार्ग	71.7	696000	696072
25.	ककुआ	513 मि0	0.1040	0.0240	रास्ता	59.4	576000	576059
26.	ककुआ	527 मि	0.0500	0.0303	चकमार्ग	74.9	727200	727275
27.	ककुआ	596 मि0	0.2650	0.1950	रास्ता	482.3	4680000	4680482
28.	ककुआ	600 मि0	0.0490	0.0156	चकमार्ग	38.6	374400	374439
29.	ककुआ	601 मि0	0.1000	0.0318	नाली	78.7	763200	763279
30.	ककुआ	603	0.0150	0.0150	चकमार्ग	37.1	360000	360037
31.	ककुआ	616	0.0890	0.0890	नाली	220.1	2136000	2136220
32.	ककुआ	617	0.1500	0.1500	रास्ता	371.0	3600000	3600371
33.	ककुआ	627	0.0420	0.0420	चकमार्ग	103.9	1008000	1008104
34.	ककुआ	635	0.0130	0.0130	चकमार्ग	32.2	312000	312032
35.	ककुआ	642	0.0420	0.0420	चकमार्ग	103.9	1008000	1008104
36.	ककुआ	646	0.0450	0.0450	नाली	111.3	1080000	1080111
37.	ककुआ	647	0.1670	0.1670	रास्ता	413.1	4008000	4008413
38.	ककुआ	652	0.0260	0.0260	चकमार्ग	64.3	624000	624064
39.	ककुआ	654	0.0360	0.0360	चकमार्ग	89.0	864000	864089

40.	ककुआ	661	0.0300	0.0300	नाली	74.2	720000	720074
41.	ककुआ	669	0.0270	0.0270	चकमार्ग	66.8	648000	648067
42.	ककुआ	673	0.0260	0.0260	चकमार्ग	64.3	624000	624064
43.	ककुआ	693 मि0	0.3050	0.2050	रास्ता	507.1	4920000	4920507
44.	ककुआ	696 मि0	0.0830	0.0160	नाली	39.6	384000	384040
45.	ककुआ	701 मि0	0.1270	0.0845	रास्ता	209.0	2028000	2028209
46.	ककुआ	704	0.0810	0.0810	रास्ता	200.4	1944000	1944200
47.	ककुआ	708	0.0150	0.0150	नाली	37.1	360000	360037
48.	ककुआ	712 नि0	0.0970	0.0835	नाली	206.5	2004000	2004207
49.	ककुआ	714	0.0340	0.0340	रास्ता	84.1	816000	816084
50.	ककुआ	721	0.0300	0.0300	नाली	74.2	720000	720074
51.	ककुआ	727	0.0380	0.0380	चकमार्ग	94.0	912000	912094
52.	ककुआ	733	0.0290	0.0290	रास्ता	71.7	696000	696072
53.	ककुआ	745	0.0470	0.0470	चकमार्ग	116.3	1128000	1128116
54.	ककुआ	753	0.3390	0.3390	खलियान	838.5	8136000	8136839
55.	ककुआ	756	0.1380	0.1380	रास्ता	341.3	3312000	3312341
56.	ककुआ	757	0.0900	0.0900	खाद के गड्डे	222.6	2160000	2160223
57.	ककुआ	763	0.0370	0.0370	नाली	91.5	888000	888092
58.	ककुआ	781	0.0600	0.0600	कुम्हार की मिट्टी	148.4	1440000	1440148
59.	ककुआ	782 मि0	0.0720	0.0650	नाली	160.8	1560000	1560161
60.	ककुआ	789 मि0	0.0230	0.0200	नाली	49.5	480000	480049
61.	ककुआ	794	0.0380	0.0380	चकमार्ग	94.0	912000	912094
62.	ककुआ	803 मि0	0.1610	0.0800	रास्ता	197.9	1920000	1920198
	योग		4.2600	3.5867		8871.70	86080800	86089672

प्रस्तावित भूमि का प्रचलित बाजारू मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर में जो अधिक हो के अनुसार मूल्य का चार गुना मु0 8,60,80,800/– रूपया + लागान का 150 गुना मु0 8,871.70/– रूपया अर्थात पूर्णाक में 8,872/– रूपया= कुल धनराशि पूर्णाक में मु0 8,60,89,672/–रूपया (रूपया आठ करोड़ साठ लाख नवासी हजार छः सौ बहत्तर मात्र)

अनुसूची

क0सं0	ग्राम का नाम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का विवरण			भूमि की नौईयत	लगान का 150 गुना	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का चार गुना मूल्यांकन (धनराशि रू0 में)	योग (कॉलम 7+8)
		गाटा संख्या	कुल रकवा (हे0 में)	पुनर्ग्रहित रकवा (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	भांडई	615	0.0170	0.0170	गूल	13.50	408000	408014
2.	भांडई	616	0.0350	0.0350	चकरोड	27.00	840000	840027
3.	भांडई	619	0.0590	0.0590	गूल	45.00	1416000	1416045
4.	भांडई	620	0.0590	0.0590	चकरोड	45.00	1416000	1416045
5.	भांडई	625	0.0390	0.0390	चकरोड	30.00	936000	936030
6.	भांडई	638	0.0930	0.0930	चकरोड	70.50	2232000	2232071
7.	भांडई	640	0.0950	0.0950	गूल	72.00	2280000	2280072
8.	भांडई	641	0.0960	0.0960	रास्ता	72.00	2304000	2304072
9.	भांडई	650	0.0320	0.0320	गूल	24.00	768000	768024
10.	भांडई	651	0.0320	0.0320	चकरोड	24.00	768000	768024
11.	भांडई	655	0.0520	0.0520	चकरोड	49.50	1248000	1248050
12.	भांडई	656	0.0590	0.0590	गूल	55.50	1416000	1416056

13.	भांडई	662	0.0030	0.0030	गूल	3.00	72000	72003
14.	भांडई	695	0.0330	0.0330	गूल	31.50	792000	792032
15.	भांडई	696	0.0800	0.0800	चकरोड	76.50	1920000	1920077
16.	भांडई	697	0.0240	0.0240	गूल	22.50	576000	576023
17.	भांडई	699	0.0110	0.0110	गूल	10.50	264000	264011
योग–			0.8190	0.8190		672.00	19656000	19656672
प्रस्तावित भूमि का प्रचलित बाजारू मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दर में जो अधिक हो के अनुसार मूल्य का चार गुना मु0 1,96,5600/– रूपया + लागान का 150 गुना मु0 672.00/– रूपया = कुल धनराशि पूर्णांक में मु0 1,96,56,672/–रूपया (रूपया एक करोड़ छियानबे लाख छप्पन हजार छः सौ बहत्तर मात्र)								

4. शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.6.2016 के प्रस्तर–5(3) में विनिर्दिष्ट प्राविधानित है कि "किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहित भूमि से घिरे ऐसे चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि की भूमि जो संस्था के बाउण्ड्रीवॉल के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते है अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।"

5. जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आख्या संख्या–795/डीएलआरसी, दिनांक 10.12.2024 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–961/भूमि0अधि0सहा0/2024–25 दिनांक 02.01.2025 द्वारा की गयी पृच्छा के अनुक्रम में जिलाधिकारी आगरा द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव/आख्या संख्या–928/डीएलआरसी, दिनांक 16.01.2025 के अनुसार सन्दर्भित भूमि की वर्तमान में कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गई है। उक्त के संबंध में भूमि प्रबंधक समिति भांडई ने दिनांक 10.9.2024 को एवं भूमि प्रबंधक समिति ककुआ द्वारा दिनांक 14.10.2024 को प्रस्ताव पारित करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की गई है। सन्दर्भित सार्वजनिक उपयोग की ग्राम भांडई व ककुआ की भूमि का मूल्यांकन साठ लाख रूपये प्रति हे0 की दर से 'ग्राम भांडई की भूमि का चार गुना धनराशि मु0 1,96,56,000/– रूपये तथा मालगुजारी का 150 गुना धनराशि मु0 672/– रूपये एवं ग्राम ककुआ की भूमि का चार गुना धनराशि मु0 8,60,80,800/– रूपये तथा मालगुजारी का 150 गुना धनराशि मु0 8,872/– रूपये', इस प्रकार उक्त दोनों ग्रामों की पुनर्ग्रहण किये जाने वाली सन्दर्भित भूमि की कुल चार गुना धनराशि मु0 10,57,36,800/– रूपये तथा मालगुजारी की कुल धनराशि मु0 9,544/– रूपये होती है।

6. उक्त के अतिरिक्त परियोजना में प्रस्तावित भूमि शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर–4(1)(ग) में प्राविधानित किया गया है कि " राज्य सरकार सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में 2 गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य तथा पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियाँ–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।"

7. "उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ से जारी अधिसूचना संख्या 741/एक–1–2016–20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016, उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 की धारा–59 की उपधारा–(2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) व (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोगतव्य शक्ति उन दशाओं में जहां यह फाइनेंसियल हैंड बुक खण्ड 5 के भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिये या जहां यह भारत सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हो, मु0 40 लाख रूपये तक वस्तुओं हेतु सम्बन्धित जनपदों के कलक्टरों तथा मु0 40 लाख रूपये से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है"।

8. अतः आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा जनपद आगरा की तहसील सदर के ककुआ एवं भांडई ग्राम की भूमि 'आवासीय टाउनशिप योजना' हेतु भूमि पुर्नग्रहण कर उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध एवं तत्क्रम में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 10.12.2024 एवं दिनांक 16.01.2025 पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–744/एक–1–2016/20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर–4(1)(ग), प्रस्तर–4(3) एवं प्रस्तर–5(3), उत्तर प्रदेश राजस्व अनुभाग 01 की अधिसूचना संख्या–741/एक–1–2016/20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा–59 की उपधारा–(2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) व (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा–59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोगतव्य शक्ति उन दशाओं में जहां यह फाइनेंसियल हैंड बुक खण्ड 5 के भाग 1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिये या जहां यह भारत सरकार के किसी विभाग के लिये अपेक्षित हो, मु० 40 लाख रूपये तक वस्तुओं हेतु सम्बन्धित जनपदों के कलक्टरों तथा मु० 40 लाख रूपये से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है, के अधीन आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा की **''आवासीय टाउनशिप योजना''** के लिए मैं, शैलेन्द्र कुमार सिंह, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा उपरांकित मौजा–ककुआ एवं भांडई की अनुसूची के कॉलम संख्या–5 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण कर **''आवासीय टाउनशिप योजना''** हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

9. जिलाधिकारी, आगरा को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा मौजा ककुआ के गाटा संख्या–23, 43 व 45 की सिंचाई के लिए गूल हेतु प्रस्तावित आवासीय टाउनशिप योजना के लिए ली जा रही भूमि के गाटा संख्या–30 रकवा 0.2450हे0 में से 0.0058हे0, गाटा संख्या–31 रकवा 0.1940हे0 में से 0.0044हे0, गाटा संख्या–32 रकवा 0.1940हे0 में से 0.0044हे0, गाटा संख्या–33 रकवा 0.0740हे0 में से 0.0022हे0 तथा गाटा संख्या–34 रकवा 0.740हे0 में से 0.0044हे0, कुल किता 5 रकवा 0.7810हे0 में से 0.0212हे0 भूमि ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की आरक्षित भूमि समझी जायेगी।

10. अतः एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि जिलाधिकारी, आगरा उपरोक्तानुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) में तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कराया जाना एवं राजस्व अभिलेखागार एवं लेखपाल पर उपलब्ध राजस्व मानचित्र में क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तद्नुसार संशोधन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त उद्धरण खतौनी एवं राजस्व भूचित्र की प्रति सहित अनुपालन आख्या विलम्बतम 01 सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ।

2– आयुक्त एवं सचिव, मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग–5, लखनऊ।

3– जिलाधिकारी, आगरा को उनके पत्र संख्या–928/डीएलआरसी, दिनांक 16.01.2025 एवं पत्र संख्या–795/डीएलआरसी, दिनांक 10.12.2024 के कम में इस आशय से प्रेषित कि वॉछित धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में शीघ्र जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को पत्र दिनांक 17.8.2024 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
आयुक्त